प्रारुप-- एक

(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा

अधिसूचना

भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात :–

जिला	तहसील	ग्राम / नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	दर्री	पुरेनाखार	1.821 है.	लोतलोता राखड़ बांध के डूबान क्षेत्र हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 23/01/2025 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन लोतलोता में नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	: लोतलोता राखड़ बांध के डूबान क्षेत्र हेतु।
2	प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित परिवारों की संख्या	: 03 परिवार
3	अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित परिवारों की संख्या	: निरंक
4	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	: निरंक
5	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	: निरंक
6	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	: हॉ
7	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	: हॉ
8	परियोजना की कुल लागत	: निरंक (राखड़ बांध पूर्ण रूप से बंद है अतः लागत शून्य है।
9	परियोजना से होने वाल लाभ	: निरंक
10	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	: प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया जा रहा है।
11	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	: निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

(अजीत वसंत)
कलेक्टर
जिला कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)